

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2010 /11-सी-FP/UP/Others/21706/2016, लखनऊ, दिनांक: मार्च 27, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-कौशाम्बी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-94 (मूरतगंज-महेवाघाट मार्ग) के किमी० 30.00 से 31.00 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम-सरसवाँ, तहसील-मंझनपुर, परगना-अथरवन के आराजी संख्या-1530मि० पर एच०पी०सी०एल० द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.08471 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी-204/14-2-2016-800(202)/2016, दिनांक 09.02.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित आख्या/प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी ने अपने पत्रांक-1679/5-8, दिनांक 08.03.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित आख्या/प्रमाण पत्र आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2010 /11-सी-FP/UP/Others/21706/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।
3. मुख्य प्रादेशिक प्रबन्धक, एच०पी०सी०एल० कानपुर रिटेल, क्षेत्रीय कार्यालय, फैक्ट्री एरिया फजलगंज, कानपुर।

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।